# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 40 / 2021** **दायर दिनांकः 22.02.2021**

**उनवान**

1. मोहनीबाई आयु 45 वर्ष पत्नि ओमप्रकाश जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादिया**

**बनाम**

1. शम्भूदयाल आयु 55 वर्ष पुत्र गोपाल जाति नाथ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट**

**उपस्थिति :—**

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री कुंजबिहारी नागर।

**निर्णय** दिनाकः 26 / 05 / 2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल पटना तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 190 की ख0नं0 1589 / 221 रकबा 1.12 है0 आराजी वादिया के खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 एवं राजस्व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। ग्राम एवं माल पटना तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 233 की ख0नं0 221 रकबा 0.95 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 एवं राजस्व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है। जहो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी के पुराने ख0नं0 221 रकबा 2.07 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही थी। जिसको प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा दिनांक 26.05.2007 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ख0नं0 221 रकबा 2.07 है0 में से 1.12 है0 आराजी वादिया को बेचान कर कब्जा

इच्छानुसार संभला दिया था जिस पर वादिया आज कब्जा काश्त करती चली आ रही है। वादिया द्वारा आराजी खरीद के बाद नवीन जमाबन्दी पृथक से वादिया के नवीन ख0नं0 1589/221 रकबा 1.12 है0 बनाकर खाते दर्ज कर दिया है। लेकिन राजस्व नक्शा ट्रेस में हल्का पटवारी द्वारा गलत तरमीम कर वादिया के दक्षिण दिशा तथा प्रतिवादी क्रम 1 के उत्तर दिशा कर दिया गया है। जबकि वादिया वक्त खरीद से पश्चिम दिशा पर तथा प्रतिवादी क्रम 1 पूरब दिशा पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। जिसको वादिया दुरूस्त करवाकर वादिया राजस्व नक्शा ट्रेस में दक्षिण दिशा में स्थान पर पश्चिम दिशा की तरमीम करवाने की अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 के कर्मचारी द्वारा किये गये गलत तरमीम को दुरूस्त करवाया जाना सम्भव नहीं है। यदि वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी ख0नं0 1589/221 रकबा 1.12 है0 व ख0नं0 221 रकबा 0.95 है0 आराजी में राजस्व नक्शा ट्रेस में सही तरमीम कब्जे काश्त के अनुसार नहीं गई तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अपने कब्जे काश्त की आराजी का कृषि विकास नहीं करवा सकती है। अस्तु वादिया राजस्व नक्शा ट्रेस ग्राम एवं माल पटना में ख0नं0 1589/221 रकबा 1.12 दक्षिण के स्थान पश्चिम दिशा तरमीम करवाकर दुरूस्त करवाने की अधिकारी है। राजस्थान सरकार प्रतिवादी क्रम 2 धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिसको धारा 80 सी0पी0सी0 का मियादी 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस दे दिया गया है। लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस की अवधि 2 माह समाप्त हुये बिना ही वाद धारा 80(2) के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद कारण वादिया द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन करने के बाद व अन्तिम बार रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 21.02.2021 के के बावजूद भी नक्शा ट्रेस दुरूस्त नहीं करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अतः वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादिया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा सादिर फरमाई जावे कि:–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित ख0नं0 1589/221 रकबा 1.12 है0 को राजस्व नक्शा ट्रेस में दक्षिण दिशा के स्थान पर पश्चिम दिशा सही तरमीम तथा वाद

पत्र की मद नं0 2 में वर्णित ख0नं0 221 रकबा 0.95 है0 को राजस्व नक्शा ट्रेस मे उत्तर दिशा के स्थान पर पूरब दिशा सही तरमीम करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर कथन किया गया कि उक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। उक्त वाद में वादनी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य राजीनामा हो गया है जो इस प्रकार वादनी के ख0नं0 1589/221 का रकबा 1.12 है0 पश्चिम दिशा की व प्रतिवादी क्रम के ख0नं0 221 की 0.95 है0 आराजी पूरब दिशा की रहेगी तथा वादनी व प्रतिवादी क्रम 1 इसी प्रकार कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अतः माननीय न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादनी व प्रतिवादी क्रम 1 का राजीनामा तस्दीक कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का मुताबिक राजीनामा आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया, वादीया की पहचान श्री चन्दालाल एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान कुंजबिहारी नागर एड. द्वारा तस्दीक किया गया जो शा0 फा0 किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल पटना तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 190 का ख0नं0 1579/533 रकबा 0.98 है0, ख0नं0 1589/221 का रकबा 1.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.10 है0 आराजी मोहनीबाई पत्नि ओमप्रकाश के खाते दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पटना के खाता संख्या 233 के ख0नं0 219 रकबा 2.87 है0, ख0नं0 221 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 448 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 494 रकबा 0.16 है0 किता 5 रकबा 4.12 है0 आराजी शम्भूदयाल पुत्र गोपाल के खाते दर्ज है। न्यायहित में आपसी सहमति से वादीया का वाद स्वीकार योग्य है।

## —::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल पटना तहसील अटरू जिला बारां में ख0नं0

1589/221 रकबा 1.12 है0 भूमि को नक्शा ट्रेस में दक्षिण दिशा के स्थान पर पश्चिम दिशा तथा ख0नं0 221 रकबा 0.95 है0 को राजस्व नक्शा ट्रेस मे उत्तर दिशा के स्थान पर पूरब दिशा करने हेतु सही तरमीम करने के आदेश किये जाते है। रहन का नोट संबंधित खातेदार के दर्ज किया जावे।

तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**
**<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>**
**बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 40/2021**

**उनवान**

1. मोहनीबाई आयु 45 वर्ष पत्नि ओमप्रकाश जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादिया**

**बनाम**

1. शम्भूदयाल आयु 55 वर्ष पुत्र गोपाल जाति नाथ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

**प्रतिवादीगण**

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट</u>**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ...........X................ रूबरू..............X..............................

**उपस्थिति :–**
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री कुंजबिहारी नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू .........................................................................X................................................

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल पटना तहसील अटरू जिला बारां में ख0नं0 1589/221 रकबा 1.12 है0 भूमि को नक्शा ट्रेस में दक्षिण दिशा के स्थान पर पश्चिम दिशा तथा ख0नं0 221 रकबा 0.95 है0 को राजस्व नक्शा ट्रेस मे उत्तर दिशा के स्थान पर पूरब दिशा करने हेतु सही तरमीम करने के आदेश किये जाते है। रहन का नोट संबंधित खातेदार के दर्ज किया जावे। तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

निज ..................X...................... मुबालिक ................X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... ..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..............X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **26.05.2022** को जारी किया गया।

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

| **मुदई** | | **मुदालयह** | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**